उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-08/2019-20

रौशन अंसारी वगै0

बनाम्

मु0 शादमुनी अंसारी वगै0

-: आदेश :-

दिनांक

17.01.22

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता रौशन अंसारी वो कौशर अंसारी, पिता–स्व0 अब्दुल गफुर अंसारी एवं माता–स्व0 सफयान खातुन, सा0–बड़ा भोड़ाय, थाना–ललमटिया, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के रा0वि0 वाद सं0–35/2018–19 आदेश दिनांक–29.01.2019 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने रा0वि0 वाद सं0–35/2018–19 आदेश दिनांक– 29.01.2019 के द्वारा अपीलकर्त्ता के दावा को खारिज किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–बसडीहा थाना नं0–47 जमाबंदी नं0–69 रकवा 14–11–12 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में सुरत मियाँ वल्द भूखन मियाँ के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता गत जमाबंदी रैयत के नाती है। मुस्लिम कानून के अनुसार पुत्रीयों का भी पिता के सम्पति पर हक एवं अधिकार होता है एवं मुस्लिम कानून के अनुसार अपीलकर्त्ता का भी उक्त जमाबंदी की जमीन पर हक एवं अधिकार है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत की जमीन का ई0सी0एल0, ललमटिया परियोजना के द्वारा अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहण के एवज में मुआवजा के रूप में मोटा रकम एवं नौकरी भी मिलने वाला है। इसलिए उत्तरवादीगण ने अपीलकर्त्तागण को मुआवजा नहीं मिले, इस कारण से अड़चन पैदा करना शुरू कर दिया एवं अपने ढंग से ई0सी0एल0 के साथ मिलकर अपीलकर्त्तागण के दावा को अस्वीकृत करने के लिए प्रयास शुरू किया। उन्होंने मुआवजा एवं नौकरी देने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय में वाद दायर किया था। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा अपीलकर्त्ता के दावा पर विचार किये बिना ही अपीलकर्त्ता के दावा को खारिज किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत

नहीं है। उन्होंने अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए उक्त जमीन का मुआवजा अपीलकर्त्ता को भी दिलाने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–बसडीहा थाना नं0– थाना नं0–47 जमाबंदी नं0–69 रकवा 14–11–12 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में सुरत मियाँ वल्द भूखन मियाँ के नाम से दर्ज है। उत्तरवादीगण गत जमाबंदी रैयत के वैध उत्तराधिकारी हैं एवं उक्त जमाबंदी की जमीन ई0सी0एल0, ललमटिया के द्वारा अधिग्रहण किया गया है तथा गत जमाबंदी रैयतों को वैध सभी हिस्सेदार को जमीन का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा भी अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय में गत जमाबंदी रैयत के पुत्री के वंश के आधार पर मुआवजा के लिए आवेदन दाखिल किया गया था। चूँकि अपीलकर्त्तागण का दावा गत जमाबंदी रैयत के पुत्री के आधार पर था। अपीलकर्त्तागण का दावा सिविल प्रकृति का है। सिविल प्रकृति के दावा पर निर्णय लेने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा सक्षम नहीं है। कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम 2015 के धारा 27 के तहत ट्रिब्यूनल के द्वारा ही दावा का निपटारा किया जा सकता है। अपीलकर्त्ता के दावा पर इस स्तर पर विचार करना न्याय के दृष्टि से उचित नहीं है। उन्होंने अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–बसडीहा थाना नं0–47 जमाबंदी नं0–69 कुल रकवा 14–11–12 धुर जमीन सुरत मियाँ वल्द भूखल मियाँ के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। अपीलकर्त्ता के द्वारा गत जमाबंदी रैयत के पुत्री के वंशज के आधार पर दावा किया है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता का दावा स्वत्व से संबंधित है। स्वत्व का निर्धारण इस स्तर से किया जाना न्याय के दृष्टि से उचित नहीं है। अपीलकर्त्तागण चाहे तो अपने दावा का निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

DB No-235
17.01.22

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:54:05 +05:30
Location: 192.168.29.8